

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 330/18  
(जीसीएमएस संख्या 2018/00497)

निर्णय दिनांक: 16-11-23

1. गुरपाल सिंह पुत्र रणसिंह जाति रामदासिया सिख निवासी सुभाषपुरा तहसील व जिला बीकानेर।

-अपीलांट



-बनाम-

आत्माराम पुत्र बीरबलराम जाति सुथार निवासी रोडावाली तहसील हनुमानगढ़।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-01-1999  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-


1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-01-1999 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाकर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

3.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 214/6 की 25 बीघा भूमि के वशेष आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम वांछित सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की गैर हाजरी बताते हुए राजस्थान उपनिवेशन नियमों के नियम 7 की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन की वरियता कायम की गई, आवंटन नियम 13 - ए के तहत प्रथम वरियता उसी जिले के आवेदक की बनती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता उसी जिले का निवासी होने के कारण अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादग्रस्त भूमि के आवंटन की वरियता कायम की गई है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत वरियता कायम करते हुए सभी आवेदकों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 19-01-1999 को नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस में अपीलांट को दिनांक 22-01-1999 को उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया था। अर्थात् दिनांक 19-01-1999 के नोटिस पर दो दिन पश्चात् ही तामील उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित किस स्थिति में आया जा सकता था, यह स्थिति अपने आप में हास्यास्पद प्रतीत होती है। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र नोटिस जारी करने की औपचारिकता पूर्ण करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।



अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुँचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलांट ने जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तब अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को उपस्थित आने बाबत् कोई तारीख नहीं बताई गई थी, तथा कालान्तर में अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित आते हुए अपने प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी मांगता रहा, परन्तु अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30-08-2018 को प्राप्त हुई तब अपीलांट द्वारा रिकार्ड शाखा से नकल

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

आदि प्राप्त करते हुए बिना देरी के उपरोक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहाँ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहाँ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।



विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 210, आरआरडी 1999 पेज 173, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 2005 पेज 42, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1971 पेज 8, आरआरडी 1999 पेज 346, आरआरडी 1985 पेज 167, आरआरडी 1965 पेज 119 व आरआरडी 1993 पेज 502 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4.

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-01-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 07-09-18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित रकबा अन्य को आवंटित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5.

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6.


जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-01-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 07-09-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 214/6 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ तथा आवंटन सलाहकार समिति की राय से भूमि आत्माराम पुत्र बीरबलराम को आवंटित की जा चुकी है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाता

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 11-09-1998 व 18-01-1999 को नोटिस जारी किया गया है, उक्त नोटिस पर अपीलांट को नोटिस दिनांक 18-01-1999 की अवधि के चार दिवस बाद जारी होना साबित है। उक्त नोटिस पर अपीलांट को दिनांक 18-01-1999 को वांछित सबूत मय 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है। इतनी अल्प अवधि में अपीलांट को नोटिस तामील होना व अपीलांट द्वारा वांछित सबूत एकत्रित किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई चालान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।



  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-01-1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियम 13ए में उल्लेखित पात्रता की शर्तों की जाँच करते हुए व विशेष आवंटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अब तक जारी परिपत्रों के अनुसरण में नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक **16.11.23** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

